

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग, 8 तिलक मार्ग, लखनऊ

निविदा सूचना

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय/उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग, 8 तिलक मार्ग, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित वाहनों की बिक्री हेतु खुली नीलामी दिनांक 31.07.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक बोली बोली जानी है।

क्र०सं०	वाहन संख्या	मेक
1.	यू०पी०३२ बी०एल० ०००९ एम्बेस्डर	२००५
2.	यू०पी० ३२ ए०के०-०६९६ कार	२००१

- नीलामी होने वाले वाहन को नीलामी से पूर्व एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। बोली बोलने वाले का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व वाहन का निरीक्षण कर ले।
- प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रूपया 5000.00 नगद जमा करना होगा, जो नीलामी समाप्त होने के पश्चात वापस कर दिये जायेगे।
- वाहन जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में नीलामी होगा।
- जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उस बोली का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल जमा करनी होगी अवशेष धनराशि एवं व्यापार कर तीन दिनों के अन्दर जमा करनी होगी यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा शेष धनराशि जमा नहीं की गयी तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।
- जब तक समिति द्वारा स्वीकार की गयी अन्तिम बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता तब तक नीलाम किया गया वाहन पर चौकसी के लिए वांछित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली बोलने वाली व्यक्ति की होगी। लेकिन नीलाम की गयी वाहन उसी परिसर की रखी जायेगा जहां नीलामी हुई है गाड़ी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उच्चतम बोली बोलने वाले का होगा।
- समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी। बोली की अन्तिम स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का निराकरण जनपद न्यायालय से होगा।

निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय उ०प्र०